

भारत में नागरिकता का कौन सा दस्तावेज़ है? जानिए सही जवाब

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> भारत में नागरिकता का कौन सा दस्तावेज़ है? जानिए सही जवाब...
- >> मुख्य अपडेट्स...
- >> नागरिकता कैसे मिलती है?...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

Last Verified On: 08 May 2026

भारत में नागरिकता का कौन सा दस्तावेज़ है? जानिए सही जवाब

क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है? बॉम्बे हाई कोर्ट के बयान ने सवाल खोल दिया है।

भारत में नागरिकता का कोई कागज़ नहीं होता। संवधान और नागरिकता कानून 1955 के अनुसार जन्म, वंश और रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता मिलती है। आधार, पैन, वोटर आईडी सिर्फ पहचान हैं।

मुख्य अपडेट्स

- >> बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा: आधार, पैन, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं।
- >> नागरिकता के पांच तरीके: जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, नैचुरलाइजेशन और नए भूभाग।
- >> संवधान के अनुच्छेद 5-11 के हिसाब से 26 जनवरी 1950 से पहली जन्म लेने वाले भारतीय हैं।
- >> नागरिकता कानून 1955 के सेक्शन 3-5 में वसित शर्तें।
- >> विदेशी नागरिक भी रजिस्ट्रेशन के तहत भारतीय बन सकते हैं।

नागरिकता कैसे मिलती है?

- >> जन्म के आधार पर: 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1986 के बीच जन्म या माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक का बच्चा।
- >> वंश के आधार पर: भारत से बाहर जन्मे शख्स के पिता भारतीय नागरिक हो।

>> रजिस्ट्रेशन: वरिधी नागरकि शर्तों के बाद भारतीय बन सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

नही, आधार कार्ड केवल पहचान है। नागरकिता का कोई कागज़ नहीं होता।

जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन और नैचुरलाइजेशन।

रजिस्ट्रेशन के तहत वरिधी भारतीय बन सकते हैं।